Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में पटवारी 8 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *10 फरवरी, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज जोधपुर में कार्यवाही करते हुये भंवरलाल, पटवारी, पटवार मण्डल, बुचैटी अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का बावडी चक संख्या–2, तहसील बावडी, जिला जोधपुर को परिवादी से 8 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी पत्नी के नाम से क्रय की गई कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में भंवरलाल, पटवारी, पटवार मण्डल, बुचैटी अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का बावडी चक संख्या–2, तहसील बावडी, जिला जोधपुर द्वारा 10,000/– रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **उप महाानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चन्द्र विश्नोई** के सुपरविजन में एसीबी जोधपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भोपाल सिह लखावत के निर्देशन** में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **पुलिस निरीक्षक श्री अमराराम खोखर** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल निवासी 60 सैनिकपुरी, डिगाड़ी जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल, बुचैटी अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का बावडी चक संख्या–2, तहसील बावडी, जिला जोधपुर को परिवादी से **8 हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।